कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / युगल पीठ / / /2022.लखनऊःदिनांकःःसितम्बर, 01 ,2022

–ःःआदेश ःः–

मुख्यालय के आदेशांक–1110 / 22 दिनांक 03.08.2022 द्वारा द्वितीय अपील सं0–225 / 12 सर्वश्री न्यौली शुगर फैक्ट्र कासगंज वर्ष 2007–08 जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित की गयी है की सुनवाई हेतु युगल पीठ सदस्य पीठ–1 व 2 आगरा की अलीगढ़ में गठित की गई थी।

प्रभारी सदस्य पीठ–अलीगढ़ ने अपने पत्र सं0–255 / 22 दिनांक 20.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अपील की आंशिक सुनवाई की गई तथा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य को विभागीय आख्या / सत्यापन हेतु राज्य प्रतिनिधि को प्राप्त कराया गया है। अतैव उक्त वाद का निस्तारण युगल पीठ द्वारा नहीं किया जा सका तथा वाद के निस्तारण हेतु 03 दिवसीय युगल पीठ के गठन की प्रार्थना की गई है।

प्रभारी सदस्य पीठ–अलीगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.08.2022 में वर्णित परिस्थितियों एवं की गई प्रार्थना तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के उद्देश्य से अलीगढ़ में दिनांक 07.09.2022 से 09.09.2022 तक सदस्य पीठ–1 आगरा व पीठ–2 आगरा की युगल पीठ गठित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि द्वितीय अपील सं0–225 / 12 की सुनवाई पूर्ण कर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें तथा अन्य युगल पीठ वादों की भी सुनवाई करते हुए निस्तारण करें।

ह0 / 01.09.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / पूर्ण पीठ / 1306 /2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1 / 2 आगरा, पीठ–अलीगढ़।
2. मुंसरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता) / विवरण / कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।